भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
[भारत सरकार / Government of India]

दिनांक : 16 फरवरी 2026

निर्देश

विषय: दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (2018 का छठवां) के प्रावधानों के तहत पोर्ट आउट विंडो के दौरान डीएलटी प्लेटफॉर्म पर लोकेशन राउटिंग नंबर (LRN) को अपडेट किए जाने के संबंध में दिनांक 9 जून, 2025 के निर्देश संख्या डी-27/ 1/1(1) /2025-क्यूओएस (ई-16147) में संशोधन।

सं. D-27/1/(1)/2025-QoS (E- 16147) जबकि दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) (इसके बाद "ट्राई अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाएगा) को कुछ कार्यों के निर्वहन का दायित्व सौंपा गया है, जिनमें अन्य बातों के अलावा, दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना; विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी इंटरकनेक्शन सुनिश्चित करना; सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना और दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाओं का आवधिक सर्वेक्षण करना शामिल है;

2. और जबकि प्राधिकरण ने ट्राई अधिनियम की धारा 36 के अधीन, धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (v) तथा खंड (ग) के साथ पठित, उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (2018 का छठा)- दिनांक 19 जुलाई, 2018 (जिन्हें आगे "विनियम" कहा जाएगा), बनाया हैं ताकि अनचाही वाणिज्यिक संचार (UCC) को विनियंत्रित किया जा सके;

3. और जबकि विनियमों के अनुसूची-II के मद 6 में प्रावधान है कि प्रत्येक एक्सेस प्रोवाईडर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर फॉर प्रेफरेंस (DL Preference) बनाएगा, रख रखाव करेगा तथा संचालित करेगा जिसमें आवश्यक कार्य, प्रक्रिया एवं इंटरफेस होगा जो, अन्य बातों के साथ-साथ, पंजीकृत प्राथमिकता वाले ग्राहक के संबंध में, दूरसंचार विभाग द्वारा एक्सेस प्रोवाइडर को आवंटित

लोकेशन राउटिंग नंबर (LRN), ग्राहक के मौजूदा सेवा नेटवर्क की तथा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के दौरान यदि ग्राहक को पोर्ट-इन किया जा रहा है, नए सेवा नेटवर्क की, लोकेशन राउटिंग नबर (LRN) में परिवर्तन को दर्ज करेंगे;

4. और जबकि प्राधिकरण ने, अपनी निर्देश संख्या डी-27/1/(1)/2025-क्यूओएस (ई-16147) दिनांक 9 जून, 2025 द्वारा, सभी सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि सफल पोर्टिंग लेन-देन के चौबीस घंटों के भीतर डोनर एक्सेस प्रोवाइडर द्वारा पोर्टेड-आउट ग्राहकों के लिए रिसीपेंट नेटवर्क का लोकेशन राउटिंग नंबर, DLT सिस्टम में अनिवार्य रूप से अपडेट किया जाए;

5. और जबकि प्राधिकरण के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ उदाहरणों में, पूर्वगामी पैरा में उल्लिखित निर्देश जारी होने के बाद भी, पोर्ट-आउट विंडो के दौरान, डोनर ऑपरेटर द्वारा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम में एलआरएन अपडेट नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप नए सेवा नेटवर्क में ग्राहक द्वारा 'प्रीफरेंस अपडेट अटैंप' विफल हो रहा है, जो उपभोक्ताओं को असुविधा पहुँचा रहा है तथा टेलीमार्केटर्स और एक्सेस प्रोवाइडरों के लिए परिचालनात्मक समस्याएँ उत्पन्न कर रहा है;

6. और जबकि चूंकि प्राधिकरण ने नोट किया है कि डोनर ऑपरेटर द्वारा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम में LRN का अपडेशन डोनर ऑपरेटर के लिए कोई व्यावहारिक उद्देश्य नहीं होता है और यह अक्सर अनावश्यक विलंब का कारण बनता है, जो उपभोक्ताओं को असुविधा पहुंचाता है और अन्य परिचालनात्मक समस्याओं को जन्म देता है;

7. और जबकि पूर्वगामी पैरा में दर्ज कारणों को देखते हुए, प्राधिकरण ने LRN को अपडेट करने की जिम्मेदारी को डोनर ऑपरेटर के बजाय रिसीपेंट ऑपरेटर को सौंपने का निर्णय लिया है;

8. अतः, अब प्राधिकरण, भारत सरकार के दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (b) के उप-खंड (i) तथा (v) के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (2018 का छठवां) के प्रावधानों द्वारा, निर्देश संख्या D-27/1/1(1)/2025-QoS (E-16147) दिनांक 9 जून, 2025 के पैरा 7 के उप-पैरा (क) के लिए निम्नलिखित उप-पैरा (क) प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"(क) यह सुनिश्चित करे कि पोर्ट-आउट ग्राहकों के लिए रिसीपेंट नेटवर्क का लोकेशन राउटिंग नबर (LRN) **रिसीपेंट ऑपरेटर** द्वारा सफल पोर्टिंग लेन-देन के चौबीस घंटों के भीतर अनिवार्य रूप से DLT सिस्टम में अपडेट किया जाए तथा चौबीस घंटों के भीतर (LRN) अपडेट न करने के संबंध में प्राप्त शिकायतें मासिक आधार पर प्राधिकरण को रिपोर्ट की जाएं;"

ह/-

(दीपक शर्मा)

सलाहकार (क्यूओएस-II)

सेवा में

सभी एक्सेस प्रोवाइडर (बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित)